राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
<u>आदेश</u>

एकलपीठ सिविल विविध अपील नम्बर 1456/2018

09.05.2018

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री एल एल गुप्ता,अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री जी के गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता मय
सुश्री अनिता अग्रवाल,, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

यह प्रकरण प्रार्थना पत्र संख्या 18414/2018 पर न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व हुआ है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण ने निवेदन किया है कि डिक्री दिनांक 17.01.2018, जो कि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-1, भरतपुर ने मुत्त. दीवानी प्रकरण संख्या 163/1993 (175/1999) में पारित हुई है, के अनुसार इजराय के आवेदन दिनांक 08.02.2018 तक कुल 60,86,000/- रूपये की राशि वसूली योग्य है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि भूमि अवासि अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड की राशि उन्हें प्राप्त हो चुकी है। न्यायालय द्वारा जो पंचाट की राशि रूपये 22000/- प्रति बीघा की दर से बढाई गई है और उस पर सोलेटियम व ब्याज दिलाया है, उसके अनुसार 60,86,000/-रूपये की राशि की वसूली इजराय के आवेदन दिनांक 08.02.2018 तक वसूली योग्य है। उनका कथन है कि इस न्यायालय ने दिनांक 16.03.2018 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 17.01.2018 की अनुपालना में शेष राशि अधीनस्थ न्यायालय में एक माह में जमा कराने का आदेश दिया था परन्तु अपीलार्थी ने उक्त आदेश के अनुसरण में राशि जमा नहीं करवाई है। अत: इस संबंध में स्पष्ट किया जावे।

सुना गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2018 को पारित डिक्री में मुआवजा राशि 48000/- रूपये के स्थान पर 70000/- रूपये प्रति बीघा निर्धारित की थी एवं प्रत्यर्थी सीताराम को अवाप्तशुदा भूमि के कुल किता 9 रकबा 5.58 हैक्टेयर कुल 34.875 बीघा पर 22000/- रूपये प्रति बीघा की दर से बढा हुआ मुआवजा 767250/- रूपये एवं विशेष मुआवजा 12 प्रतिशत व सांत्वना राशि 30 प्रतिशत एवं कब्जा लेने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि

तक 9 प्रतिशत ब्याज व उसके पश्चात 15 प्रतिशत ब्यसाज राशि वसूल होने तक प्राप्त करने का अधिकारी माना है।

तदनुसार उक्त राशि में से पूर्व में निर्धारित की गई 48000/- रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से अदा की जा चुकी है एवं उसके बाद शेष राशि एक माह में जमा कराने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2018 को आदेश पारित किया गया है, जो अपने आप में स्पष्ट है, जिसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 18414/2018 का निस्तारण किया जाता है।

(बनवारी लाल शर्मा**)**
न्यायाधिपति

बीएलजैन**/ 19**